(82)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3207–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–9–2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बागली जिला देवास प्रकरण कमांक 02/अपील/2015–16.

अशोक पिता यदुनंदन विश्वकर्मा
निवासी मकान नम्बर 42 वैभव नगर
सेक्टर–ए, इंदौर ....आवेदक

विरूद्ध

1– छतरसिंह पिता स्व. ठाकुर सज्जनसिंह
निवासी बागली जिला देवास एवं
49, श्रीनाथ रिजेन्सी,
ब्लू मयंक वाटर पार्क के पास, इंदौर

2– रिपुदमनसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह
पता 44, बीमानगर, न्यू पलासिया इंदौर
तर्फे आम मुख्त्यार विश्वशक्ति कुमार
पिता रामसिंह पता 12 एफ
आनंद कॉलौनी, रतलाम ....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी बागली जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–9–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अधीक्षक, भू–अभिलेख/भू–प्रबंधन जिला देवास द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 4–3–2014 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, बागली जिला देवास के समक्ष दिनांक 17–11–2015 को लगभग डेढ़ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई ।

चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 02/अपील/2015–16 दर्ज कर दिनांक 9–9–2016 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी ने राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धान्त के विपरीत डेड़ वर्ष का विलम्ब क्षमा करने में कानूनी त्रुटि की है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अनावेदक कमांक 1 को दिनांक 12–5–2014 को प्राप्त हो गई थी, अतः अनावेदक कमांक 1 को 30 दिन की अवधि में अपील प्रस्तुत करना चाहिए था, किन्तु उसके द्वारा विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है और इस संबंध में उसके द्वारा आवेदन पत्र में कोई कारण नहीं दर्शाया गया है । अनावेदक कमांक 1 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित अपील के निर्णय की प्रतिक्षा करना बताया गया है, जबकि किसी भी न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 को अपील करने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है । अतः विलम्ब का कारण सद्‌भाविक नहीं माना जा सकता है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 का यह आधार कि वर्ष 2015 में उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दीपावली के दौरान साफ–सफाई के कारण इधर–उधर रख दी गई थी, परन्तु वर्ष 2014 में भी दीपावली आई थी, इसलिए एक वर्ष तक का प्रमाणित प्रतिलिपि के संबंध में कोई कारण नहीं बताया गया है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि अनावेदक कमांक 1 के कथनानुसार ही प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 7–11–2015 को सफाई के दौरान मिली, जबकि राजस्व न्यायालय दिनांक 10–11–2015 तक चालू थे, इसलिए अपने आवेदन में दिनांक 8–11–2015 से 15–11–2015 तक न्यायालय अवकाश बताया है, जो वस्तुस्थिति के विपरीत होकर असत्य कथन किये हैं । अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र में जो कारण बताये गये हैं, वह पर्याप्त कारण नहीं हैं और न ही सद्भावनापूर्वक हैं, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कानूनी भूल की गई है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 14 का सही अर्थ न समझते हुए आवेदन पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की गई है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है एवं जो विलम्ब हुआ है, वह सद्भावना पर आधारित होने से विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि वैसे भी प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके ।

उनके द्वारा निगरानी निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीक्षक, भूभिलेख के आदेश दिनांक 4–3–2014 (जिसकी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की गई) की प्रमाणित प्रतिलिपि अनावेदकगण को दिनांक 12–5–14 को प्राप्त हो गई थी, फिर भी अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग डेड़ वर्ष बाद दिनांक 17–11–15 को समय बाहय अपील प्रस्तुत की है । अनावेदकगण का यह आधार कि व्यवहार न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण चलने के कारण उनके द्वारा अपील दायर नहीं की गई, मान्य किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर करते समय प्रकरण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था । अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा उठाये गये बिन्दुओं एवं न्याय दृष्टान्तों पर कोई विचार नहीं किया है । अनावेदकगण द्वारा जो अन्य आधार जिनमें गलत न्यायालय में अपील प्रस्तुत करना, आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि गुमना आदि लिये गये हैं, उनके समर्थन

में कोई प्रमाण पेश नहीं किये गये हैं । अनावेदकगण द्वारा समय–सीमा के बिन्दु पर उठाये गये आधार आपस में विरोधाभासी हैं । स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील समय बाह्य थी, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को अपील समय बाह्य मान्य करना चाहिए था । इस सम्बन्ध में 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

"धारा 5–व्याप्ति–अधिकारिता की प्रकृति–वैवेकिक है–पक्षकार विलंब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है–पर्याप्त कारण का सबूत–अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है–न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।"

अनावेदकगण द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है, जबकि उन्हें प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्ट कारण दर्शाना चाहिए था । इस सम्बन्ध में 1989 आर.एन. 243 गोदावरी विरूद्ध गोदाबाई में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

"धारा 5–विलंब के लिए माफी देना–प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया–पर्याप्त कारण साबित नहीं किया गया–पर्याप्त कारण के विषय में निष्कर्ष दिये बिना विलंब के लिए माफी नहीं दी जा सकती ।"

परिसीमा के प्रावधान इसलिए रखे गये है कि एक समय–सीमा के बाद पक्षकार निशिचित होकर बैठ सके कि अब उसके पक्ष में जो फैसला है, वह अंतिम है । यदि बिना किसी समाधानकारक कारण के विलम्ब क्षमा किया जाता है तो ऐसी अतिमता समाप्त हो सकती है । इस समबन्ध में 2000 आर.एन. 153 हरसिंह विरूद्ध दुल्ला में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"धारा 5–विलंब की माफी–ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत नहीं दी जाये तथा अन्य का अहित नहीं हो ।"

"धारा 5–अधिनियम के उपबंध–उद्देश्य–जिस पक्षकार के पक्ष में विनिश्चय है उसे उसकी अंतिमता का अहसास हो–विलंब की माफी से ऐसी अंतिमतता समाप्त हो सकती है ।"

उपरोक्त विश्लेषण एवं माननीय उच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी बागली जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–9–2016 निरस्त किया जाता है एवं अधीक्षक, भू–अभिलेख, भू–प्रबंधन जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–3–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर